संख्या-05/2016/99/एक-4-2016-रा0-4

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक: 10 फरवरी, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-50 लेखा शीर्षक 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03 कलेक्ट्री स्थापना के अर्न्तगत विभिन्न मदों में धनराशि को पुर्विनियोग के माध्यम स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4608/14-बजट-17/2053 (जिला प्रशासन पुनर्विनियोग) 2015-16 दिनांक 19 जनवरी 2016 के क्रम में वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-50 लेखा शीर्षक 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-03-मंहगाई भत्ता मद से होने वाली बचत के अर्न्तगत लेखा शीर्षक 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसांगिक व्यय मद में रू0 13,00,000/- (रूप; तेरह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्वियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि को प्रदेश के समस्त जिला प्रशासन कार्यालयों को उक्त उल्लिखित मदों के अर्न्तगत आवश्यक्तानुसार आबंटित करने हेतु आपके निर्वतन पर रखा जाता है।

(2) उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग केवल स्वीकृत मद के लिए इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा, बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा अन्य मदों में पुनर्वियोग के माध्यम से धनराशि की मांग उक्त मदों में उपलब्ध धनराशि के व्यय के उपरान्त मांग के औचित्य को पूर्णतया स्पष्ट करते हुए किया जायेगा।

(4) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखा शीर्षक 2053 - जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना के अर्न्तगत संलग्नक-1 में उल्लिखित मानक मद के सम्मुख उपलब्ध हो रही बचतों से पुनर्वियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

(5) यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: बी0एम0-9

भवदीय,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-05/2016/99(1)/एक-4-2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 व 2

5- राजस्व-6।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।